न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 38/18 **तारीख दायर**

प्यारचन्द पिता नारायण जाति रेगर उम्र बालिग निवासी जावदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)। ....प्रार्थी

बनाम

1. राजू पिता कुका जाति रेगर उम्र बालिग निवासी जावदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)।
2. बरदा पिता हरलाल जाति रेगर उम्र बालिग निवासी जावदा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज.)।
3. रामन्द्र पिता जगन्नाथ जाति रेगर उम्र बालिग निवासी जावदा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज.)।
4. जीतमल पिता गुलाब जाति धाकड उम्र बालिग निवासी जावदा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाडा (राज.)।

.........**विपक्षीगण**

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.राजस्व अधिनियम</u>

दिनांक 18-5-18

निर्णय

प्रार्थना पत्र प्यारचन्द पिता नारायण जाति रेगर उम्र बालिग निवासी जावदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री घनश्याम लाल धाकड़ प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम जावदा पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में **खाता संख्या नई 84 पर अंकित आराजी संख्या 137 पर रकबा 2–06 बीघा, आराजी संख्या 138 पर रकबा 0–11 बीघा, आराजी संख्या 139 पर रकबा 1–00 बीघा, आराजी संख्या 140 पर रकबा 0–05 बीघा, आराजी संख्या 141 पर रकबा 3–04 बीघा, आराजी संख्या 142 पर रकबा 3–17 बीघा, आराजी संख्या 143 पर रकबा 5–00 बीघा कुल किता 7 रकबा 16–03 बीघा** भूमि शामलाती खातेदारी है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ कलां को पत्थरगढ़ी बाबत कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। [illegible] 1000/- Rs. [illegible]

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम जावदा पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में **खाता संख्या नई 84 पर अंकित आराजी संख्या 137 पर रकबा 2–06 बीघा, आराजी संख्या 138 पर रकबा 0–11 बीघा, आराजी संख्या 139 पर रकबा 1–00 बीघा, आराजी संख्या 140 पर रकबा 0–05 बीघा, आराजी संख्या 141 पर रकबा 3–04 बीघा, आराजी संख्या 142 पर रकबा 3–17 बीघा, आराजी संख्या 143 पर रकबा 5–00 बीघा कुल किता 7 रकबा 16–03 बीघा** पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

Scanned by CamScanner